

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा0पत्र/19/2022

ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि. (पूर्व में ए.यू. फाइनेन्सेरस इंडिया लि.) रजिस्टर्ड
ऑफिस- 19ए. धूलेश्वर गार्डन अजमेर रोड़ जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत
अधिकारी

....प्रार्थी/प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

1-राधाकिशन पुत्र मांगी सिंह, निवासी- पथैना वैर भरतपुर अन्य पता- ग्राम
पंचायत पट्टा नं. 9 पथैना वैर भरतपुर

.....अप्रार्थी.ऋणी

2-सुमन देवी पत्नी राधाकिशन, निवासी पथैना वैर भरतपुर

.....अप्रार्थी.सहऋणी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम 2002 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से कब्जा
दिलाये जाने हेतु।

आदेश

दिनांक 6.07.2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. धारा 14 वित्तीय अस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत
ऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया
गया है कि अप्रार्थी0 ऋणी ने दिनांक 14-8-2020 को प्रार्थी से 370000/-रुपये
की ऋण सुविधा स्वीकृत कराई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0
ने सम्पत्ति, प्लॉट नं.9, कुल क्षेत्रफल 157.28 वर्ग गज, ग्राम पथैना तहसील वैर
जिला भरतपुर, जिसके पूर्व में- पप्पू शर्मा का घर, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर
में संजय विशाल का घर, दक्षिण में- लखनसिंह का घर, स्थित है को प्रार्थी के हक
में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था।

.....2

(Handwritten signature)

**जिला कलक्टर
भरतपुर**

(2)

प्रा०पत्र / 19 / 2022
ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक बनाम राधाकिशन वगैरे

अप्रार्थीगण ऋणीयों के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि समय अवधि में जमा नहीं कराई गई जिसके कारण अप्रार्थीगण/ऋणीयों के खाता को दिनांक 10-10-2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 13-10-2021 तक 369908/-रुपये व ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थीगण/ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थीगण/ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 13-10-2021 अप्रार्थीगण/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि को अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी बैंक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेते समय बैंक को पुलिस की सहायता भी उपलब्ध कराई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी/ऋणी ने उपर्युक्त आवासीय सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया। तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी/अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/ऋणीयों के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। अस्तु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित है।

.....3



L
जिला कलेक्टर
भरतपुर


(3)

प्रा०पत्र/19/2022
ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक बनाम राधाकिशन कर्मा

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय अप्रार्थी० ने आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं.9, कुल क्षेत्रफल 157.28 वर्ग गज, ग्राम पथैना तहसील वैर जिला भरतपुर स्थित है, जिसके पूर्व में- पप्पू शर्मा का घर, पश्चिम में- आम रास्ता, उत्तर में संजय विशाल का घर, दक्षिण में- लखनसिंह का घर है को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था का भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधी अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकता अनुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।




(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर
भरतपुर